न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
शिमला मीणा (आरटीएस)

मि.न.20 / 2020

दिनांक 24.8.2020

सरकार बनाम रघुवीर

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खेड़ा निहालपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम खेड़ा निहालपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0101 / 0.12 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मेंसे 0.004 है0पर रघुवीर कसाणा पुत्र भक्ताराम जाति गुर्जर निवासी पूरणनगर ने पक्की नींव भर कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । गैर सायल उपस्थित नहीं आये अतः गैर सायल के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई जाती है। भू अभिलेख निरीक्षक की जांच के अनुसार गैर सायल की मौजूदगी में मुताबिक राजस्व रिकार्ड जांच करने पर पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई अतिक्रमण की रिपोर्ट सही पाई गई। हमने पटवारी हल्का ,भू0अ0नि0 रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन पर पाया की गैर सायल का उक्त आराजियात पर अतिक्रमण सिद्व होता है , अतः अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैर सायल रघुवीर कसाणा पुत्र भक्ताराम जाति गुर्जर निवासी पूरणनगर को वाके ग्राम खेड़ा निहालपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 101 / 0.12है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मे से 0.004है0 पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात पर की गई पक्की नींव को हटाया जाकर भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 0.16रू. का पचास गुणा 8रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली के आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 24.8.2020 को सरे इजलास सुनाया गया। Sk

वर्ष 2020-21 0......... के रा० ल० ..
के पृष्ठ संख्या 35..... पर...82....
रुपये कायम किये गये ।

[signature] 22/9/20
राजस्व लेखाकार
कोटपूतली